

प्रेस नोट दिनांक 02.06.2025

थाना इलिया व थाना शहाबगंज

विभिन्न धार्मिक स्थलों से चोरी के 394 पीतल के घंटे, 04 मुकुट व 02 मूर्ति की आंख (सफेद धातु) बरामद।

चोरी करने वाले गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार, चोरी में प्रयुक्त औजार व दो पहिया वाहन बरामद।

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हो रही चोरी की घटना पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिगम्बर कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व नामेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी चक्रिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष इलिया व थानाध्यक्ष शहाबगंज के संयुक्त कार्यवाही में 04 शातिर चोरो को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से विभिन्न धार्मिक स्थलों से चोरी 394 छोटा बड़ा घण्टा पीतल, 04 मुकुट सफेद धातु, दो सफेद धातु की मूर्ति की आंख सहित चोरी में प्रयुक्त औजार लोहा काटने की एक आरी मय चार लोहे का ब्लेड तथा घटना में प्रयुक्त एक दोपहिया वाहन सुपर स्प्लेण्डर संख्या UP65DZ2098 व 1500.00 रुपये बरामद किया गया है। आज दिनांक 02.06.2025 को थानाध्यक्ष इलिया को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ शातिर चोर जो विगत 10 दिनों से थाना क्षेत्र व जनपद के अन्य थानों के एकान्त में स्थापित मन्दिरों से छोटा बड़ा घण्टा, मुकुट व अन्य सामग्री चुरा कर भागे थे। इस समय काली माता मन्दिर के पास एकान्त जगह में बैठ कर अगली चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष इलिया मय पुलिस टीम व थानाध्यक्ष शहाबगंज मय पुलिस टीम द्वारा काली माता मन्दिर ग्राम कलानी के पास घेराबन्दी करके मौके से 03 शातिर चोर को गिरफ्तार गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे चोरी का सामान जमालपुर मिर्जापुर में बेच देते हैं। उक्त चोरो की निशानदेही पर चौथा अभियुक्त को जमालपुर मिर्जापुर से उसकी दुकान से मय माल के साथ गिरफ्तार करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा 01 अभियुक्त राजू सेठ उपरोक्त फरार/वांछित है। उक्त चोरो द्वारा विगत 10 दिनों से थाना क्षेत्र व जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। ये लोग थाना क्षेत्र व जनपद के विभिन्न थानों में एकान्त में स्थापित मन्दिरों से लगातार चोरी करते तथा चोरी का सामान जमालपुर मिर्जापुर ले जाकर बेचते थे। सबसे पहले यह लोग एकान्त में स्थापित मन्दिरों की रेकी करते की कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है उसके बाद जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था उक्त मन्दिरों से घण्टा मुकुट व अन्य सामग्री को काटकर व चुरा कर जमालपुर मिर्जापुर में बेच देते थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.धीरज तिवारी पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम चैनपुरवा चौबेपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 27 वर्ष।
- 2.नीरज तिवारी पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम चैनपुरवा चौबेपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 29 वर्ष।
- 3.अतुल तिवारी पुत्र जवाहजर लाल तिवारी निवासी ग्राम चैनपुरवा चौबेपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 24 वर्ष।
- 4.दीपक कुमार उर्फ दीपु पुत्र स्व० रामचन्द्र निवासी ग्राम जमालपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. धीरज तिवारी पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम चैनपुरवा चौबेपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर –

- मु0अ0सं0 843/2016 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर
- मु0अ0सं0 75/2025 धारा 115(2)/351(3)/352 BNS थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर
- मु0अ0सं0 34/2025 धारा 305/341(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 39/2025 धारा 305/331(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 47/2025 धारा 305 BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 88/2025 धारा 303(2) BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2) BNS थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. नीरज तिवारी पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम चैनपुरवा चौबेपुर थाना जमापुल जनपद मिर्जापुर

- मु0अ0सं0 75/2025 धारा 115(2)/351(3)/352 BNS थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर
- मु0अ0सं0 34/2025 धारा 305/341(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 39/2025 धारा 305/331(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 47/2025 धारा 305 BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 88/2025 धारा 303(2) BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2) BNS थाना चकिया जनपद चन्दौली

3. अतुल तिवारी पुत्र जवाहर लाल तिवारी निवासी ग्राम चैनपुरवा चौबेपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर

- मु0अ0सं0 34/2025 धारा 305/341(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 39/2025 धारा 305/331(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 47/2025 धारा 305 BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 88/2025 धारा 303(2) BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2) BNS थाना चकिया जनपद चन्दौली

4. दीपक कुमार उर्फ दीपु पुत्र स्व० रामचन्द्र निवासी ग्राम जमालपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर

- मु०अ०सं० 34/2025 धारा 305/341(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु०अ०सं० 39/2025 धारा 305/331(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु०अ०सं० 47/2025 धारा 305 BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु०अ०सं० 88/2025 धारा 303(2) BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु०अ०सं० 92/2025 धारा 303(2) BNS थाना चकिया जनपद चन्दौली

5. राजू सेठ पुत्र रामजी सेठ निवासी ग्राम बहुआर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर (वांछित)

- मु०अ०सं० 34/2025 धारा 305/341(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु०अ०सं० 39/2025 धारा 305/331(4) BNS थाना इलिया जनपद चन्दौली
- मु०अ०सं० 47/2025 धारा 305 BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु०अ०सं० 88/2025 धारा 303(2) BNS थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- मु०अ०सं० 92/2025 धारा 303(2) BNS थाना चकिया जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1. बड़ी घंटी- 06
2. मीडियम घंटी- 66
3. छोटी घंटी- 322
4. 04 मुकुट सफेद धातु का
5. 02 सफेद धातु की मूर्ति की आंख
6. लोहा काटने की एक आरी मय चार अदद लोहे की ब्लेड
7. मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर संख्या UP65DZ2098
8. रू० 1500.00 रूपये

गिरफ्तारी व बरामदगी में सम्मिलित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अरूण प्रताप सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली
2. थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
3. उ०नि० रविन्द्र कुमार सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली
4. उ०नि० रामभवन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली
5. उ०नि० त्रिभुवन राम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
6. हे०का० राजेश यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली
7. हे०का० कल्लन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली
8. हे०का० सूरज सिंह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
9. का० आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली
10. का० रामसूरत चौहान थाना इलिया जनपद चन्दौली
11. का० दुर्गविजय वर्मा थाना इलिया जनपद चन्दौली
12. का० दीपक कुशवाहा थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
13. का० आलोक कुमार थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

◆आभूषण की सफाई के नाम पर महिलाओं को झांसा देकर आभूषणों की ठगी करने वाले गिरोह के 05 अन्तर्राज्यीय सदस्य गिरफ्तार।

◆गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा सफेद व पीली धातु के आभूषण व नकदी बरामद।

आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिगम्बर कुशवाहा, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व आशुतोष, क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकरघट्टा अवधेश नारायण मय हमराह को दिनांक 01.06.2025 को मुखबिर से सूचना मिली ग्राम मझगावा के चौवे इंटर कालेज के पास 05-06 युवक बैठे हैं जो आभूषणों की सफाई के दौरान धोखाधड़ी कर असली जेवर से नकली जेवर बदलने की बात कर रहे हैं तथा कही घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।

इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चौवे इंटर कालेज के पास पहुंचकर घेराबंदी की गयी मौके पर मौजूद 05 युवक भगाने लगे जिनको घेराबंदी कर समय 23.45 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनकी पहचान क्रमशः 1. दीपक कुमार साह पुत्र उमेश शाह निवासी तुलसीपुर जमनियाँ थाना पर्वता जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 23 वर्ष, 2. राजा कुमार साह पुत्र योगेन्द्र शाह निवासी कटैया गौन्ट थाना पिपरा जिला सुपौल बिहार उम्र करीब 19 वर्ष 3. राजा कुमार साह पुत्र अशोक शाह निवासी ग्राम रहटा थाना कुमार खण्ड जिला मधेपुरा बिहार उम्र करीब 23 4. रोहित कुमार साह पुत्र उमेश शाह निवासी तुलसीपुर जमनियाँ थाना पार्वता जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 32 वर्ष 5. कुणाल शाह पुत्र मुनेश्वर शाह निवासी गोविन्दपुर थाना महेश जिला खूट जिला खगडिया बिहार उम्र करीब 33 वर्ष के रूप में हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 14 जोड़ी पायल सफेद धातु, एक जोड़ी पैजनी सफेद धातु, 65 बिछिया सफेद धातु, 05 बैग जिसमें जेवर सफाई करने के उपकरण व केमिकल (एसिड) व प्लास्टिक के कटोरे व ब्रश, प्लास्टिक के बोतल, प्लेट, सफेद पाउडर, 5 एन्ड्राइड मोबाइल फोन व 3400/-रूपये नगद बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि आभूषण की सफाई की बात कहकर महिलाओं से जेवर लेकर सफाई करते हैं और आभूषण चोरी करते हैं तथा धोखाधड़ी कर असली आभूषण को नकली आभूषण में बदल देते हैं बिहार में ले जाकर उंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/2025 धारा 318(4),305(a),317(2),316(2) बी.एन.एस थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली का अभियोग कर विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय चन्दौली में पेश करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. दीपक कुमार साह पुत्र उमेश शाह निवासी तुलसीपुर जमनियाँ थाना पर्वता जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 23 वर्ष,

2. राजा कुमार साह पुत्र योगेन्दर शाह निवासी कटैया गौन्ट थाना पिपरा जिला सुपौल बिहार उम्र करीब 19 वर्ष
3. राजा कुमार साह पुत्र अशोक शाह निवासी ग्राम रहटा थाना कुमार खण्ड जिला मधेपुरा बिहार उम्र करीब 23
4. रोहित कुमार साह पुत्र उमेश शाह निवासी तुलसीपुर जमनियाँ थाना पार्वता जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 32 वर्ष
5. कुणाल शाह पुत्र मुनेश्वर शाह निवासी गोविन्दपुर थाना महेश जिला खूँ जिला खगडिया बिहार उम्र करीब 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. 14 जोड़ी पायल सफेद धातु
2. एक जोड़ी पैजनी सफेद धातु,
3. 65 बिछिया सफेद धातु,
4. 05 बैग जिसमे जेवर सफाई करने के उपकरण व केमिकल (एसिड) व प्लास्टिक के कटोरे व ब्रस तथा प्लास्टिक के बोतल व प्लेट, सफेद पाउडर
5. 05 एन्ड्राइड मोबाइल फोन व 3400/-रूपये नगद

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1. अवधेश नारायण थानाध्यक्ष थाना चकरघट्टा चन्दौली
2. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार (चौ0प्र0मझगावा) थाना चकरघट्टा चन्दौली
3. उ0नि0 हरीन्द्र यादव थाना करघट्टा जनपद चन्दौली
4. हे0का0 शशिकान्त यादव थाना चकरघट्टा चन्दौली
5. हे0का0 अनिल कुमार सिंह थाना चकरघट्टा चन्दौली
6. हे0का0 सुधीर कुमार सिंह थाना चकरघट्टा चन्दौली
7. हे0का0 अभिषेक पाल थाना चकरघट्टा चन्दौली
8. का0 बसन्त यादव थाना चकरघट्टा चन्दौली
9. का0 शैलेन्द्र यादव थाना चकरघट्टा चन्दौली